	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	नामांतरण अपीलवादवाद सं0 :20/2008–09 24/2007–08 96/2002–03 **(मोहन महतो वगैरह बनाम भरत प्रसाद वर्मा वगैरह वो अंचल अधिकारी गांडेय)** **आदेश** इस अपीलवाद की कार्यवाही अंचल कार्यालय, गाण्डेय के नामांतरण वाद संख्या 450/2002–03 में विज्ञ अंचल अधिकारी, गाण्डेय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2002 के विरूद्ध अपीलार्थी श्री मोहन महतो एवं अन्य के द्वारा दायर किये गये अपील आवेदन पर आरम्भ की गई है। श्री भरथ प्रसाद वर्मा एवं अन्य 11 , सभी साकिनान : परमाडीह , थाना : अहिल्यापुर को इस वाद में प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित किया गया है। न्यायालय के द्वारा सुनवाई की निर्धारित तिथि में अपीलार्थी तथा प्रतिपक्ष का पक्ष उनके विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से सुना गया । वादगत भूमि के खतियानी प्रविष्टि का उल्लेख करते हुए विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि खातान0 13 का कुल खतियानी रकबा 4.61 ए0 है तथा यह सर्वे–खतियान में विक्रेता मो. तितिया के पति होरिल महतो के नाम से दर्ज है। खतियानी रैय्यत होरिल महतो की मृत्यु के उपरांत इस भूमि की एकमात्र वारिस उनकी पत्नी मो. तितिया हुई। वादगत एक अन्य खातान0 14 का कुल खतियानी रकबा 29.22 ए0 है तथा यह सर्वे–खतियान में होरिल महतो वो धरम महतो वो अनु महतो के नाम से दर्ज है। इस खाता की भूमि की खतियानी प्रविष्टि के आलोक में खतियानी रैय्यत होरिल महतो की मृत्यु के उपरांत भूमि के खतियानी रकबा 29.22 ए0 के विरूद्ध उसके एक तिहाई अर्थात 9.74 ए0 भूमि की एकमात्र वारिस उनकी पत्नी मो. तितिया हुई। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे तर्क दिया गया कि वादगत भूमि मौजा : परमाडीह थाना नं. 535 अन्तर्गत खाता नं. 13 एवं 14 के खेसरा नं. 244 वगैरह एवं 173 वगैरह में रकबा क्रमशः 4.13 ए0 तथा 9.74 एकड़ का क्रय अपीलार्थी के पूर्वज (पिता एवं अन्य) दुलो महतो वो मोहन महतो ने विक्रेता मो. तितिया, जौजे	

हारिल महतो से निबंधित केवाला सं0 3660 दिनांक 03.07.1941 के द्वारा किया है और खरीदगी की तिथि से केतागण तथा उनके वारिशान भूमि के दखलकार चले आ रहें हैं। इस भूमि के दाखिल खारीज के संबंध में हल्का–कर्मचारी तथा अंचल–निरीक्षक के द्वारा दाखिल किए गए जाँच–प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पंजी–।। के जमाबंदी पृष्ठ संख्या 175(1) में खातान0 13 के संपूर्ण खतियानी रकबा 4.61 ए0 की जमाबंदी हारिल महतो के नाम से कायम है। इसी तरह उद्गत खातान0 14 में भी रकबा 20.91 ए0 भूमि की जमाबंदी पंजी–।। के जमाबंदी पृष्ठ संख्या 67(1) में होरिल महतो वगैरह के नाम से कायम है और खतियानी प्रविष्टि के अनुरूप इसका लगान खातान0 13 की कायम जमाबंदी से ही लिया जा रहा है। विज्ञ अधिवक्ता का अभिकथन है कि वर्ष 1941 में अपने हिस्से की भूमि की बिक्री के लगभग 20 वर्ष के उपरांत तितिया देवी से विपक्षीगण ने खातान0 14 में से लगभग 7.00 ए0 का अवैद्य केवाला करा लिया गया और इसी के आलोक में निम्न–न्यायालय में विज्ञ अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिलखारीज की कार्रवाई को अस्वीकृत कर दिया गया है। निम्न–न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने एवं अपीलार्थी पक्ष का अपील स्वीकृत किए जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया।

विज्ञ अधिवक्ता प्रतिपक्ष के द्वारा दि0 27.01.2008 में दिए गए लिखित जवाब में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि विपक्षी गोविंद महतो की मृत्यु दि0 13.11.2005 में ही हो चुकी है। मृत रैय्यत को पक्षकार बनाकर लाए गए वाद की कार्यवाही को खारीज किए जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया है। अपीलवाद की कार्यवाही में इसके अतिरिक्त प्रतिपक्ष की ओर से न तो सुनवाई की अगली निर्धारित तिथियों में कोई रूचि ली गई और न ही कोई अन्य दावा–साक्ष्य दाखिल किया गया। दूसरी ओर अपीलार्थी पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दि0 18.08.2008 में दिए गए Substitution-petition के आलोक में मृतक गोविंद महतो के स्थान पर उनकी पत्नी एवं पुत्रों को Substitute कर खास सूचना निर्गत की गई। परंतु सुनवाई की निर्धारित तिथि में लगातार वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने में कोई रूचि नहीं लिए। फलस्वरूप अपीलार्थीपक्ष की एकपक्षीय सुनवाई की गई।

अपीलार्थीपक्ष के उर्पयुक्त उल्लेखित तर्क तथा निम्न–न्यायालय नस्थ अभिलेख के अवलोकन एवं उनके सम्यक विवेचन के उपरांत मैं पाता

हूँ कि : – –

1. विक्रेता मो0 तितिया , खतियानी रैय्यत होरिल महतो की एकमात्र वारिशान हैं तथा उनके द्वारा अपने हिस्से की भूमि की बिक्री वर्ष 1941 में ही अपीलार्थी पक्ष के पूर्वज के नाम से की गई है।
2. निबंधित केवाला सं0 3660 दिनांक 03.07.1941 के द्वारा बिक्री किए गए भूमि को रद्‌द कराए बिना पुनः उसके अंश–भूमि की बिक्री किया जाना विधि–स्वीकार्य नहीं मानी जा सकती। निम्न–न्यायालय से लेकर अपीलांट–न्यायालय तक प्रतिपक्ष ने कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह पुष्टि हो कि मो0 तितिया के द्वारा निबंधित केवाला सं0 3660 दिनांक 03.07.1941 को रद्‌द कराया गया हो।
3. वादगत खाताн0 13 की भूमि को विवादमुक्त रहने संबंधि उल्लेख निम्न–न्यायालय तथा अपीलार्थी पक्ष के द्वारा की गई है। एक ही केवाला के द्वारा बिक्री की गई भूमि खाताн0 13 तथा 14 में से मात्र खाताн0 14 की भूमि पर ही प्रतिवादी के आक्षेप विधि–ग्राहय प्रतीत नहीं होता।
4. क्रय किए गए दोनों ही खाता की भूमि की पंजी–।। में जमाबंदी कायम है तथा सरकारी लगान–रसीद भी बिक्रेतापक्ष अर्थात जमाबंदी रैय्यत के नाम से ही निर्गत की जा रही है।
5. वर्ष 1941 में वादगत भूमि की बिक्री के उपरांत बिक्री–विलेख को निरस्त कराए बिना उसमें निहित भूमि के अंश रकबा का पुनः प्रतिवादियों के द्वारा क्रय किया जाना विधि के अनुसार प्रतिकूल प्रतीत होता है।

अतः उर्पयुक्त उल्लेखित निष्कर्ष–सार के आलोक में अंचल कार्यालय, गाण्डेय के नामांतरण वाद संख्या 450/2002–03 में विज्ञ अंचल अधिकारी, गाण्डेय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2002 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी का अपील स्वीकृत किया जाता है । पारित आदेश से उभयपक्ष को अवगत कराया जाए तथा आदेश की प्रति निम्न–न्यायालय मूल अभिलेख के साथ अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल–अधिकारी गांडेय को भेजी जाए।

83
5/2/09

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
गिरिडीह।